

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1091

थाना कांड संख्या-116 वर्ष-2015 थाना-एरियारी जिला-शेखपुरा, से उत्पन्न

- =====
1. संजय मंडल
 2. गुड्डू मंडल दोनों सुरेश मंडल @ सुरेश महतो के पुत्र, ग्राम के निवासी-वृंदावन, थाना-अरियारी, जिला-शेखपुरा।
 3. निरंजन कुमार@निरंजन मंडल, पुत्र-बशिष्ठ मंडल, निवासी- गाँव-चक अवगिलिया, थाना-अरियारी, जिला-शेखपुरा
 4. दिलवार मंडल उर्फ दिलावर मंडल शंकर मंडल का पुत्र, निवासी ग्राम-रघुनाथपुर, पुलिस स्टेशन सिकंदरा, जिला जमुई

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 925

थाना कांड संख्या-116 वर्ष-2015 थाना-एरियारी जिला-शेखपुरा,से उत्पन्न

- =====
1. सुरेश महतो @सुरेश मंडल औरअन्य, स्वर्गीय नंद किशोर महतो के पुत्र

2. भोनू महतो @भोनू मंडल स्वर्गीय चंदो महतो के पुत्र दोनों गाँव-वृंदावन, थाना अरियारी,
जिला शेखपुरा के

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

=====

भा. दं. सं. - धारा 364, 302, 201, 149 और 120- B

सभी छह अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201, 149 और 120 बी के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 द्वारा दोषी पाया गया है तथा 22.06.2017 के आदेश के अनुसार उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है तथा 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस घटना में कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है।

निर्णित किया गया कि **हनुमंत बनाम म.प्र. सराकर, ए.आई.आर. 1952** सर्वोच्च न्यायालय 343; **टुफेल@सिमि बनाम उ.प्र. सरकार(1969)3 एस.सी.सी. 198** में प्रतिपादित सिद्धांत लागू होंगे। --- पुलिस ने हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिये छोटा संभव रास्ता अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल स्वीकारोन्वित पर ही भरोसा किया गया है और ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी संदेह के ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। --- हमारे लिये यह देखना बहुत उलझन भरा है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण में असंख्य कमजोर कड़ी और संकीर्ण दरार के बावजूद निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया। --- निर्णय और दोष सिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुये अपील की अनुमति देते हैं और अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी करते हैं।

[पैरा 3, 18, 20, 21, 22, 33, 34, 38, 40, 45, 47, 48, 49, 50, और 53]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1091

थाना कांड संख्या-116 वर्ष-2015 थाना-एरियारी जिला-शेखपुरा, से उत्पन्न

- =====
1. संजय मंडल
 2. गुड्डू मंडल दोनों सुरेश मंडल @ सुरेश महतो के पुत्र, ग्राम के निवासी-वृंदावन, थाना-अरियारी, जिला-शेखपुरा।
 3. निरंजन कुमार@निरंजन मंडल, पुत्र-बशिष्ठ मंडल, निवासी- गाँव-चक अवगिलिया, थाना-अरियारी, जिला-शेखपुरा
 4. दिलवार मंडल उर्फ दिलावर मंडल शंकर मंडल का पुत्र, निवासी ग्राम-रघुनाथपुर, पुलिस स्टेशन सिकंदरा, जिला जमुई

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

साथ

2017 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) सं. 925

थाना कांड संख्या-116 वर्ष-2015 थाना-एरियारी जिला-शेखपुरा,से उत्पन्न

- =====
1. सुरेश महतो @सुरेश मंडल औरअन्य, स्वर्गीय नंद किशोर महतो के पुत्र

2. भोनू महतो @भोनू मंडल स्वर्गीय चंदो महतो के पुत्र दोनों गाँव-वृंदावन, थाना अरियारी,
जिला शेखपुरा के

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी

=====

उपस्थिति

(2017 के आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 1091 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर,

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: श्री बिनोद बिहारी सिंह

(2017 के आपराधिक आवेदन (खंड-पीठ) संख्या 925 में)

अपीलार्थी के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर

प्रत्यर्थी के लिये: श्री अजय मिश्रा

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागिया

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि: 05-01-2024

1. दोनों अपीलों (उनमें छह अपीलार्थी) को एक साथ सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटा दिया जा रहा है।

2. हमने श्री अजय कुमार ठाकुर को अपीलार्थियों के लिए सुना है और श्री बिनोद बिहारी सिंह और श्री अजय मिश्रा, एपीपी को राज्य की ओर से।

3. सभी छह अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364,302,201,149 और 120बी के तहत 2016 के सत्र मामले संख्या 26 में विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा द्वारा पारित 19.06.2017 के फैसले के तहत दोषी पाया गया है। दिनांक 22.06.2017 के आदेश के अनुसार धारा 302/149 भा.दं.सं के लिये, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर दो साल के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा; भा.दं.सं.की धारा 364/149 के लिये कठोर कारावास और 5,000/-रु. का जर्माना लगाया गया है और जुर्माने का भुगतान न करने पर अपराध के लिए एक वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है। धारा 301/149 के तहत अपराध के लिए, अपीलार्थियों को तीन साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया है। 2, 000/- और भुगतान की चूक में, छह महीने के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने की पूरी राशि मृतक के वारिसों को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मृतक के उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शेखपुरा को एक और निर्देश दिया गया है।

4. कहा जाता है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक/संजीत कुमार का गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसका सिर काट दिया और धड़ और सिर दोनों को जंगल में दफना दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्वनिर्दिष्ट हत्या के लिए कोई उद्देश्य नहीं बताया गया। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, न ही मृतक या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपीलकर्ताओं के साथ कोई दुश्मनी है। वास्तव में, मृतक के लापता होने के संबंध में एफ. आई. आर. मृतक के बड़े भाई, सुनील कुमार सुमन (पीडब्लू 14) द्वारा 24.10.2015 को दर्ज किया गया था। मृतक लगभग 6 बजे अपराह्न में 22.10.2015 को शैलेंद्र कुमार के साथ दशहरा उत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित मेला देखने करने के लिए घर से बाहर गया था। हालाँकि, जब वह अगले दिन तक नहीं लौटा, तो पूर्व-लिखित शैलेंद्र से पूछताछ की गई, लेकिन उसने खुलासा किया कि वह 22.10.2015 की रात को ही मृतक के साथ छोड़ दिया था। आगे की तलाशी लेने पर, पीडब्लू 14 को यह पता चला कि एक विनोद पासवान, जिसकी विचारण में परीक्षण नहीं की गई है, ने मृतक को अपीलार्थी/संजय मंडल के साथ अपने वाहन के पास खड़ा देखा था। कुछ अन्य लोग भी थे, जो एक स्थानीय रेस्तरां के मालिक के साथ शराब पी रहे थे। विनोद पासवान द्वारा दी गई इस जानकारी पर, पीडब्लू 14 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शायद आरोपी व्यक्तियों, शैलेंद्र, संजय मंडल और रेस्तरां मालिक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक की हत्या की होगी।

5. पीडब्लू 14 द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पूर्वनिर्दिष्ट जानकारी के साथ, अरियारी थाना कांड सं. 116/2015 दिनांक 24.10.2015 के पूर्वनिर्दिष्ट शैलेंद्र कुमार, संजय मंडल और रेस्तरां मालिक के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था।

6. पुलिस को एफ. आई. आर. में उल्लिखित उपरोक्त शैलेंद्र कुमार और रेस्तरां मालिक की संलिप्ता नहीं मिली। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि चूंकि अपीलकर्ता/संजय मंडल एक संदिग्ध था, जैसा कि मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था,

इसलिए उसे उसके भाई गुड्डू मंडल के साथ गिरफ्तार किया गया था और गुड्डू मंडल के कबूलनामे पर, अन्य आरोपी व्यक्तियों/अपीलार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के सामने गुड्डू मंडल के कबूलनामे से मृतक का धड़ और सिर बरामद हुआ और साथ ही जंगल से खून के धब्बों के साथ एक दरांती भी बरामद हुई। केवल ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनका नाम स्वीकारोक्ति में था।

7. अंततः पुलिस ने सभी छह अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिनके विरुद्ध विचारण चलाया गया।

8. परीक्षण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से सत्रह गवाहों को परीक्षण के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

9. अपीलार्थी के बचाव में श्री ठाकुर का प्रमुख तर्क यह है कि पुलिस के साथ-साथ निचली अदालत ने अपीलार्थी के दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अस्वीकार्य साक्ष्य पर भरोसा करने में खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है। जिस स्वीकारोक्ति के कारण शव बरामद हुआ वह गुड्डू मंडल द्वारा किया गया था, जिसके खिलाफ कोई संदेह नहीं था और इसलिए, उसे शायद गिरफ्तार नहीं किया गया होगा और जब उसका तथाकथित कबूलनामा दर्ज किया गया था तो वह पुलिस की हिरासत में था। प्राथमिकी में केवल संजय मंडल का नाम लिया गया था क्योंकि उन्हें 22.10.2015 की रात में मृतक के बगल में खड़े एक विनोद पासवान ने देखा था। यदि ऐसा है, तो यह तर्क दिया गया है कि इतनी अधिक जानकारी जो स्पष्ट रूप से शव की बरामदगी से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत भी स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का प्रतिबंध उचित रूप से लागू होगा।

10. उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में, श्री ठाकुर ने सुझाव दिया है कि यदि ऐसा नहीं होता तो गुड्डू मंडल का गिरफ्तारी ज्ञापन अभिलेख में लाया जाता। अन्यथा भी, गुड्डू मंडल

के इकबालिया बयान से शव की तथाकथित बरामदगी और हत्या में इस्तेमाल हथियार को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कभी दर्ज नहीं किया गया। जब इस तरह का बयान दर्ज किया जा रहा था, तब कई लोग थाना में इंतजार कर रहे थे। मृतक के कटे हुए शव की बरामदगी के संबंध में, श्री ठाकुर ने आग्रह किया है कि किसी भी बरामदगी जापन के अभाव में, बरामदगी का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गुड्डू मंडल के कहने पर शव बरामद किया गया था। जिस स्थान से इसे बरामद किया गया था, वह बरामदगी जापन के अभाव में अज्ञात है।

11. मामले के अभिलेख में बरामदगी जापन की अनुपस्थिति और आई. ओ. (पीडब्लू. 17) शव को निकालने के समय मौजूद स्थानीय व्यक्तियों को परिपश में नहीं लेना, आगे पुष्टि करता है कि कोई रिकवरी नहीं हुई थी।

12. मृतक के शव पर शव परीक्षा, इस मामले में, एक बरामदी का एक निश्चित प्रमाण नहीं होगा। शवपरीक्षा प्रतिवेदन में उस मामले का उल्लेख नहीं है जिसमें मृतक का शव बरामद किया गया था। पोस्टमॉर्टम परीक्षण का विषय शरीर पूरी तरह से सूज गया था और सड़ गया था। अभियोजन पक्ष के इस दावे को निर्णायक रूप से पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि जिस शव का पोस्टमॉर्टम किया गया था, वह संजीत कुमार का था। ऐसा प्रतीत होता है कि शव की पहचान चौकीदार गोरेलाल पासवान ने की थी, जो केवल शव को मुर्दाघर ले आया था। वह केवल उस शव की पहचान कर सकता था जो वह लाया था।

13. इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि किसी भी गवाह ने मृतक को अपीलार्थियों के साथ कहीं भी जाते हुए देखने का दावा नहीं किया है। इस प्रकार मृतक के संजय मंडल से संबंधित एक वाहन के पास देखे जाने और संजय मंडल के वहां मौजूद होने का निष्कर्ष निकालना तथा एक ऐसी परिस्थिति को अलग करना कि यह अपीलार्थियों के

अपराध के अनुमान के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में भी आधा नहीं आता है।

14. अतः यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि किसी सामग्री पर आधारित नहीं है और केवल गवाहों के सुने हुए बयान पर आधारित है।

15. पूर्व लिखित तर्क के विपरीत विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजकों ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि बरामदगी ज़ापन अभिलेख में नहीं है, लेकिन इस मामले के अन्वेषण अधिकारी, बलराम प्रसाद (पीडब्लू 17) और संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधिकारी, (पीडब्लू 16) जो दल का हिस्सा थे, ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि अपीलकर्ता/गुड्डू मंडल के इशारे पर शव और खून से सना हुआ दरांती बरामद किया गया था। कानून निचली अदालत को इस तरह की बरामदी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत इससे स्पष्ट रूप से जुड़े तथ्य को पूरी तरह से दरकिनार करने का आदेश नहीं देता है केवल इस कारण से कि बरामदगी पंचनामा को अभिलेख पर नहीं लाया गया है, जो चूक अनजाने में भी हो सकती है। इसके अलावा, प्रतिवाद करने वाली दलीलें दी गई हैं कि जब गुड्डू मंडल का बयान दर्ज किया जा रहा था, तब संजय मंडल वहां मौजूद थे, जिन्होंने गुड्डू मंडल द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की थी। जब बयान दर्ज किया जा रहा था, कई व्यक्ति, जिनमें से कुछ इस मामले के गवाह हैं, मौजूद थे और वे कटे हुए शव की बरामदगी के भी गवाह थे। लेकिन इससे पहले, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया है कि संजय मंडल और गुड्डू मंडल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी पुष्टि आई. ओ. (पीडब्लू 17) के बयान से होती है। हालांकि गुड्डू मंडल का कोई गिरफ्तारी ज़ापन रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन बचाव पक्ष के लिए यह दबाव डालना बहुत अधिक होगा कि जब गुड्डू मंडल ने बयान दिया था, तो वह पुलिस की हिरासत में नहीं था और इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के आवेदन के लिए आवश्यक शर्तों में से एक यह है कि ऐसा स्वीकारोक्ति करने वाला व्यक्ति किसी मामले का आरोपी होना चाहिए और पुलिस हिरासत में होना चाहिए जिससे उसके बयान को

इकबालिया बयान के रूप में लिया जाना चाहिए, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, गायब था।

16. अभियोजन की ओर से गवाहों ने यह दावा किया गया है कि मृतक को 22.10.2015 की रात को मेले से घर लौटने के लिए वाहन का इंतजार करते हुए पाया गया था। गवाहों में से एक ने यह भी पुष्टि की है कि मृतक परिवहन के एक अलग तरीके से वापस आना चाहता था, लेकिन संजय मंडल और गुड्डू मंडल ने जोर देकर कहा कि वे बाद में मृतक के घर पहुंचेंगे।

17. मृतक का एक अन्य भाई, जबकि अपने भाई की तलाश में, एक अपीलार्थी को यह कहते हुए सुना था कि पुलिस को संजय मंडल और गुड्डू मंडल को हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वे भेद नहीं खोलेंगे और शव को इस तरह से छुपाया गया था कि इसे कभी भी बरामद नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से इस मामले के गवाहों में से एक द्वारा सुना गया था और इसलिए, निचली अदालत ने इस तरह के बयान को ध्यान में रखते हुए इसे अपीलार्थियों के खिलाफ धारणा के मजबूत होने की परिस्थितियों में से एक के रूप में उद्धृत करना बिल्कुल गलत नहीं था।

18. यह अज्ञात नहीं है कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दर्ज किए जाते हैं लेकिन केवल तभी जब परिस्थितियाँ पूर्ण हों।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोषसिद्धि का निर्णय लेने के लिये कोई गणितीय सटीकता का उम्मीद नहीं करता है। हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, न्यायालय ऐसी परिस्थिति के प्रत्येक भाग की खोज करने के लिए बाध्य है जो एक पूरी श्रृंखला बनाएगा, जो बिना किसी संदेह के अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करेगा। परिस्थितियाँ

ऐसी होनी चाहिए कि वे केवल अभियुक्त के बेकसूर होने के सारे सबूतों के विपरीत और उसे निश्चित रूप से केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए।

20. सबसे मौलिक और बुनियादी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर उच्चतम न्यायालय का सबसे मौलिक और बुनियादी निर्णय **हनुमंत बनाम एम.पी. राज्य (ए. आई. आर. 1952 एससी. 343)** है। निम्न निर्णयों में उपरोक्त सिद्धांतों का समान रूप से पालन किया गया है:- **तुफैल @सिम्मी बनाम यू. पी. राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198]**; **राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी. 625]** और **शरद बडधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एस. सी. सी. 116]**

21. न्यायमूर्ति एम. सी. महाजन, ने हनुमंत में (ऊपर) कहा है कि यह याद रखना अच्छा है कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। यह निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति का होना चाहिए जिससे हर अन्य परिकल्पना को बाहर किया जा सके सिवाय इसके जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।

22. स्थापित किए जाने वाले तथ्य तथा जिस तथ्य से उपरोक्त स्थापित किये जाने वाले तथ्य को प्रमाणित किया जा सके तार्किक तथा दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिये। “परिस्थितिजन्य साक्ष्य का बल और प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी असंगतता, और व्याख्या करने की क्षमता या समाधान किसी अन्य अनुमान पर निर्भर करता है, सिवाय उस तथ्य के सत्य के जिसे वह साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है; तर्क का तरीका जो प्रदर्शन की विधि से मिलता-जुलता है। (**रामानंद @ नंदलास भारती बनाम यू. पी. राज्य (ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 5273)**); **सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 5110**; **बॉबी बनाम केरल राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 50** और **वेंकटेश @चंद्र बनाम कर्नाटक राज्य, 2023 आप.एल.जे. 183 एससी का संदर्भ लें।**

23. इस संदर्भ में देखा और विश्लेषण किया गया और मापदंड पर हमने पाया है कि जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, उत्तम कुमार और मिथुन कुमार, जिनकी जांच पीडब्लू 1 से 4 के रूप में की गई है और जिन्होंने पुष्टि की है कि वे भी मेले में गए थे और उन्होंने मृतक को अपीलार्थी/संजय मंडल और उनके साथियों के साथ खड़े देखा था ने एक कटा हुआ शव बरामद होने के बाद अपने बयान दिए हैं, जिसे संजीत (मृतक) का बताया गया था। इसलिए, उनके बयानों का इस परिस्थिति के संबंध में कोई संभावित मूल्य नहीं होगा कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं और उसके सहयोगियों में से एक के साथ देखा गया था। शव मिलने के 20 दिन बाद पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। यह मानते हुए कि संजय मंडल और अन्य लोगों के साथ मृतक का यह पता सही था, लेकिन इस तथ्य के लिए कि मृतक लापता हो गया था और बाद में उसका शव बरामद किया गया था, उनके लिए किसी को भी इसका खुलासा करना कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होगी। उस स्थिति में, बरामदगी के बाद उनके बयान देना सार्थक हो सकता है। हालाँकि, यह केवल उन परिस्थितियों में से एक होगी, जो स्वतंत्र रूप से साक्ष्य को जोड़ने के चरित्र में भाग नहीं ले सकती हैं। कहीं भी विशेष रूप से जब किसी भी गवाह ने मृतक को किसी भी अपीलार्थी या वाहन में सभी अपीलार्थी के साथ जाते हुए देखने का दावा नहीं किया हो।

24. राजेश कुमार (पीडब्लू5) अभियोजन के वृत्तांत को और भी संदिग्ध बनाता है। वह मेले में मौजूद थे और उन्होंने संजय मंडल भोन्ू द्वारा चलाए जा रहे एक लाल रंग के मैजिक वाहन को देखा था, सुरेश और निरंजन वाहन में बैठे थे। वाहन को एक पोल्ट्री फार्म के पीछे खड़ा किया गया था, जहाँ से पुलिस ने इसे परित्यक्त स्थिति में बरामद किया था। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्होंने सभी अपीलार्थियों को वाहन से बाहर निकलते और पोल्ट्री फार्म में प्रवेश करते देखा है। यदि इस कथन को सत्य माना जाता है, तो यह केवल एक निष्कर्ष की ओर ले जाएगा कि मेले से, अपीलार्थी कुक्कुट फार्म में आए थे और उसके बाद उन्हें नहीं देखा गया था। कुक्कुट फार्म या वह स्थान जहाँ से वाहन पाया गया था,

किसी भी घटना स्थल में नहीं आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस, बिना किसी कारण, पी. डब्ल्यू. 14 द्वारा शैलेंद्र और स्थानीय रेस्तरां मालिक, जिसका नाम संजय मंडल के साथ था, की मिलीभगत के बारे में शुरू में लगाए गए आरोप को एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। इसके विपरीत, शैलेंद्र के भाई को पीडब्लू 9 के रूप में गवाह कटधरे पर लाया गया है, जिसने पुष्टि की है कि मृतक उसके घर आया था और वह और शैलेंद्र मेले में आए थे। शैलेंद्र रात में वापस आ गया। अगले दिन सुबह, पीडब्लू9 को पता चला कि संजीत कुमार घर वापस नहीं आया है। उन्होंने अपने भाई से पूछताछ की, जिसके पास बताने के लिए और कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि उसने कभी-कभी अक्टूबर, 2015 की रात को मृतक का साथ छोड़ दिया था।

25. उस समय तक जब तक शैलेंद्र मृतक के साथ मौजूद था, कुछ नहीं हुआ था और शैलेंद्र ने कभी भी मेले में संजय मंडल और उनके साथियों की उपस्थिति के बारे में खुलासा नहीं किया था।

26. इसकी बात की अन्वेषण होनी चाहिये थी।

27. अगर पी. डब्ल्यू. 9 ने अपने भाई से संजीत के बारे में पूछा होता, और अगर यह सच था तो उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि जब तक शैलेंद्र से कुछ पूछताछ की गई होगी, तब तक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी थी जिसमें उन पर भी अपराधियों में से एक होने का संदेह था।

28. पुलिस के शैलेंद्र और स्थानीय रेस्तरां मालिक के खिलाफ संदेह होने का कारण को पूरी तरह से छोड़ दिया, जो अन्य लोगों के साथ मेले में पार्टी कर रहे थे, जिनमें से कुछ का नाम स्वीकारोक्ति में लिया गया है। पुलिस द्वारा अचानक अनुसंधान के तरीके बदलने के बारे में हम केवल एक ही जवाब पा सकते हैं, वह है गुड्डू मंडल का तथाकथित स्वीकारोक्ति। इससे शायद पुलिस के लिए आगे की जांच करने की कहानी पूरी हो गई।

29. आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. 17) द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए दर्ज किया गया है कि उन्होंने अपीलार्थियों और मृतक के संबंधों के बारे में जानना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि उनके पास मृतक को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा या उसकी हत्या का कारण है। यह केवल यह दर्शाता है कि पुलिस ने अपने अपरिपक्वता के साथ कार्रवाई की और कभी भी मामले की ठीक से जांच करने की परवाह नहीं की।

30. हम श्री ठाकुर के प्रस्तुतिकरण को तर्कपूर्ण पाते हैं कि जब तक गुड्डू मंडल का बयान दर्ज किया गया था, जिसका समर्थन संजय मंडल ने किया था, जो तब तक केवल एक संदिग्ध बन गया था, गुड्डू मंडल एक संदिग्ध भी नहीं था और गुड्डू मंडल के किसी भी गिरफ्तारी ज़ापन के अभाव में, यह दृढ़ विश्वास के साथ दावा करना मुश्किल होगा कि वह पुलिस की हिरासत में था।

31. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि यह दंडाधिकारी की तत्काल उपस्थिति में नहीं किया जाता है। इस तरह का बयान ध्यान देने वाले के खिलाफ साबित नहीं किए जा सकते हम साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले के तथ्यों में यह आवश्यक नहीं है। इस नियम का, एक अपवाद भी है, हालांकि उसे "कलात्मक रूप से शब्दबद्ध" नहीं किया गया है। यह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी तथ्य को स्वीकार करने पर प्रतिबंध हटा देता है, लेकिन ऐसी जानकारी का केवल इतना ही, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जो इस तरह से खोजे गए तथ्य के लिए स्पष्ट रूप से साबित किया जा सकता है। स्वीकारोक्ति साबित करने पर प्रतिबंध हटाने के लिए आवश्यक शर्तें यह हैं कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप तथ्य की खोज होनी चाहिए;

ऐसे तथ्यों की खोज की जानी चाहिए; जब अभियुक्त ने जानकारी दी हो तो उसे पुलिस हिरासत में होना चाहिए; और इतनी जानकारी जो के तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है।

32. मोटे तौर पर, इसलिए, यह प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए दो शर्तें लागू होनी चाहिए। (I) जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिससे तथ्य की खोज हो; और (II) जानकारी स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित होनी चाहिए।

33. गुड्डू मंडल एकमात्र व्यक्ति है जिसे कहा जाता है कि उसने पुलिस के सामने इकबालिया बयान दिया। इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि वह पुलिस हिरासत में था। उस स्थिति में, मृतक के कटे हुए शरीर की बरामदगी संदिग्ध और अस्वीकार्य भी हो जाती है। अन्यथा भी, एक कटे हुए शरीर की खोज, जिसे मृतक का कहा जाता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत "खोजे गए तथ्य" के रूप में बरामद किया वस्तु नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसे "बरामद की गई वस्तु" के बराबर माना जाए। भले ही हम मान लें कि गुड्डू मंडल को यहां तक कि एक संदिग्ध के रूप में भी, जिसने एक बयान दिया था, जिसके अनुसार एक कटा हुआ शव बरामद किया गया था, जिसकी पहचान मृतक के रूप में की गई है, यह केवल मामले में एक कड़ी होगी और अन्य लोगों के साथ गुड्डू मंडल के अपराध का निष्कर्ष निकालने के लिए आधार नहीं बन सकता है।

34. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के व्याख्या का दायरा और सीमा को उत्कृष्ट निर्णय न्यायमूर्ति विमाउन्ट के माध्यम से **पुलुकुरी बनाम राजा-समाट, ए आई आर 1947 प्रिवी काउंसिल 67** द्वारा समक्षा जायेगा। यह मामला मद्रास से प्रिवी काउंसिल तक गया था। यह मामला गाँव के दो गुटों के बीच लड़ाई के परिणामस्वरूप हमले और परिणामस्वरूप मौत का मामला था। सभी चश्मदीद गवाह अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे सत्र न्यायाधीश ने उनके बयान को काफी हद तक सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया। उस फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। महामहिम परिषद को की

गई अपील में, यह आग्रह किया गया था कि प्रारंभिक पुलिस जांच के दौरान महत्वपूर्ण पीडब्ल्यू द्वारा दिए गए बयानों की प्रतियों के साथ उचित समय पर बचाव पक्ष को आपूर्ति करने में अभियोजन पक्ष की विफलता में दं.प्र.संहिता की धारा 162 के स्पष्ट प्रावधान का उल्लंघन शामिल है और यह कि कथित रूप से गलत तरीके से स्वीकारोक्ति और स्वीकारोक्ति के साक्ष्य में उपयोग, जो कथित रूप से दो अपीलार्थियों द्वारा पुलिस हिरासत में किए जाने के दौरान किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था।

35. यह पाते हुए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के व्याख्या के संबंध में भारत के उच्च न्यायालयों की राय विरोधाभासी थी। प्रिवी काउंसिल ने उसी की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ा। धारा की सामग्री पर ध्यान देने के बाद, प्रिवी काउंसिल ने पाया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 द्वारा लगाए गए निषेध को अपवाद प्रदान किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 द्वारा और पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करने में सक्षम बनाया। इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उतनी जानकारी जो स्पष्ट रूप से संबंधित हो।

36. प्रिवी काउंसिल को यह प्रतीत हो रहा था कि इस दृष्टिकोण पर कि यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई तथ्य सामने आता है, तो यह मानने में कुछ गारंटी हो सकती है कि जानकारी सही थी और तदनुसार इसे साक्ष्य में लेने की अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, स्वीकार्य जानकारी की सीमा केवल उस तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर करेगी जिससे ऐसी जानकारी को संबंधित करने की आवश्यकता है। यह आगे समझाया गया कि यदि "तथ्य की खोज" अभिव्यक्ति प्रस्तुत एक भौतिक वस्तु के रूप में लिया जाना और यदि उस उद्देश्य से स्पष्ट रूप से संबंधित कोई भी जानकारी साबित की जा सकती है,

तो शायद साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रतिबंध का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा। प्रतिबंध संभवतः विधायिका के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में एक व्यक्ति को अनुचित दबाव के प्रयोग से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि किसी भौतिक वस्तु की बरामदगी से संबंधित किसी भी जानकारी को साबित करने की अनुमति दी जाती है, तो व्यानकर्ता द्वारा तथाकथित बयान कि उसने मृतक को बरामद किए गए हथियार से मार डाला था, भी स्वीकार्य हो जाएगा।

37. प्रिवी काउंसिल ने बहुत विनम्रता से कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में "खोजे गए तथ्य" को "प्रस्तुत वस्तु" के बराबर मानना गलत होगा। जिस तथ्य की खोज की गई है, उसमें वह स्थान शामिल है जहाँ से वस्तु को पेश किया गया है और साथ ही अभियुक्त को इस विषय में जानकारी होना और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। पिछले उपयोगकर्ता या प्रस्तुत वस्तु के पिछले इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी उस सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसमें इसे खोजा गया था।

38. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवन उपाध्याय ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1125 में उच्चतम न्यायालय ने समझाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों का दो श्रेणियों में वर्गीकरण विचाराधीन कानून द्वारा किया गया है: एक वे होंगे जिन पर किसी आरोप के तहत हिरासत में लिया गया है और दूसरा जिन्हें खूली छूट दिया जाता है। पूर्व श्रेणी में वे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने मौखिक रूप से या कार्यों द्वारा हिरासत में आत्मसमर्पण कर दिया। इन दोनों वर्गों को दी जाने वाली सुरक्षा अलग-अलग है।

39. पहली श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के मामले में कानून का प्रावधान है कि उनके बयान स्वीकार्य नहीं हैं, और दूसरी श्रेणी के मामले में, बयान का केवल वह हिस्सा स्वीकार्य है क्योंकि जांच प्राधिकरण को दिए गए बयान से पहले अज्ञात एक प्रासंगिक तथ्य की खोज द्वारा गारंटी के रूप में स्वीकार्य। यह कथन प्रकृति में इकबालिया भी हो सकता है।

40. स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने इस तरह के कबूलनामे को दर्ज नहीं करने में पुलिस की विफलता है; गुड्डू मंडल की गिरफ्तारी-जापन के साथ-साथ कटे हुए शरीर की बरामदगी-जापन को भी रिकॉर्ड पर नहीं लाना हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक और लगभग समझ से बाहर है। हमारे लिए समान रूप से दिलचस्प कृपाण का प्रस्तुति है जिसका उपयोग मृतक की गर्दन काटने के लिए किया गया था, भले ही उसे जब्त कर लिया गया था और सील कर दिया गया था। यह कि उस पर खून के धब्बों को कभी भी रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, एक अन्य कारक है जो अभियोजन पक्ष के बयान को अत्यधिक संदिग्ध बना देगा। इस प्रकार, मृतक के तथाकथित शव की बरामदगी कोई ऐसी खोज नहीं है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य हो। [मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 828; अंतेर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2004) 10 एस. सी. सी. 657; जाफरुद्दीन और अन्य बनाम। केरल राज्य (2022) 8 एस. सी. सी. 440; रामानंद @नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 5273; राजेश और अन्न। बनाम। मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन 1202 का भी संदर्भ लें]

41. मामले का आगे परीक्षण करते हुए, हमने शव परीक्षण प्रतिवेदन और डॉक्टर के साक्ष्य (पीडब्लू 13) की जांच की है शव परीक्षण 27.10.2015 को किया गया था। गर्दन के आधार पर एक कटा हुआ घाव पाया गया और सिर काट दिया गया था लेकिन ऑपरेशन टेबल पर मौजूद था। शरीर सूज गया था और दुर्गंध निकल रही थी। त्वचा भी अलग-अलग जगहों से छिल गई थी। जीभ बाहर निकल रही थी। मृत्यु का कारण तेज हथियार से काटने से सिर के विच्छेदन के कारण हृदय-श्वसन विफलता का आकलन किया गया था।

42. ऊपर उल्लिखित प्रसाद सिंह (पीडब्लू 13) ने प्रति-परीक्षण में खुलासा किया कि शव की पहचान एक चौकीदार/गोरेलाल पासवान द्वारा की गई थी, लेकिन शव का विषय था, जिसके मामले का खुलासा उन्हें नहीं किया गया था और न ही उन्होंने शव परीक्षण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने एक कटे हुए शरीर का ऑपरेशन करने की बात स्वीकार

की, लेकिन इस बात पर सहमत हुए कि वह सड़ चुका था। हालांकि एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी शव को पहचान सकता था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस तरह का बयान अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया था।

43. जिस बात ने हमारा ध्यान खींचा है वह यह है कि डॉक्टर (पी. डब्ल्यू. 13) ने शव को देखकर महसूस किया कि उसे जमीन के नीचे दफनाया गया है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में ऐसा कभी नहीं लिखा। वहाँ एक समस्या है। विसंगतियों की सूची में पहला संदेह यह है कि रिकवरी-मेमो के अभाव में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि शव को बाहर निकाला गया था। अगर इसे बाहर निकाला जाता तो पूरा शरीर मिट्टी से ढक जाता। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए रखने से पहले साफ किया गया था और जब पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर को यह महसूस हुआ कि शव को दफना दिया गया था, जो एक डॉक्टर के पहले के उद्देश्य निष्कर्षों में से एक था, तो इसे लिखा जाना चाहिए था।

44. तब किस शव का शव परीक्षण किया गया था?

45. हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि मामला शव का संबंध न तो डॉक्टर को बताया गया था और न ही शव परीक्षण चार्ट में इसके लिए आरक्षित कॉलम में इसका उल्लेख किया गया था। गवाहों में से किसी का भी यह स्पष्ट दावा नहीं है कि कटा हुआ शरीर मृतक का था।

46. मृतक की पत्नी और भाई द्वारा एक बहुत ही अगंभीर उल्लेख किया गया है कि गुड्डू मंडल के कहने पर बरामद किए गए शरीर के अंग मृतक/संजीत के थे। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है कि शव को दफन किए जाने के पांच दिन बाद और सड़ने के बाद, शव की पहचान की जा सकेगी। यदि इसकी पहचान की गई थी, तो इसकी पहचान के संबंध में एक विशिष्ट बयान होना चाहिए था।

47. इन तथ्यों के साथ केवल एक ही बात सामने आती है कि पुलिस ने हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे छोटा संभव रास्ता अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल स्वीकारोक्ति पर ही भरोसा किया गया है और ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी संदेह के ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया है। क्षत-विसृत शव की बरामदगी को मृतक का शरीर माना गया और इसे अपीलार्थियों के अपराध के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया।

48. अगर यह तरीका है जिसमें पुलिस जाँच की जाती है, तो आपराधिक न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली पर निश्चित रूप से एक झटका लगेगी। इस तरह की त्रुटियों और संभवतः किसी भी तरह से मामले को हल करने और जांच के साथ किसी भी तरह का पता लगाने के कदाचार के कारण इस मामले में न्याय की गंभीर विफलता हुई है।

49. हमारे लिए यह देखना बहुत उलझन भरा है कि अभियोजन पक्ष के संस्करण में असंख्य कमजोर कड़ी और संकीर्ण दरार के बावजूद, निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष के प्रस्तुति को स्वीकार कर लिया।

50. इस मामले में मन्द दुर्बलताएँ और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में अंतराल केवल अपीलार्थियों को बरी करने की गारंटी देगा।

51. हमारे अनुमान के अनुसार पूरे अभियोजन मामले का आधार, मैं हवा में उड़ गया है हमारा हवा गया है।

52. हालांकि हमने पाया है कि ट्रायल कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों की व्याख्या उचित किया है लेकिन उन्हें व्यवहार में नहीं लाया गया प्रतीत होता है। यह एक "पतले धागे" की तरह है जो हवा की तरह ही इतना हल्का और अमूर्त है, जो हल्की स्पर्श के साथ गायब हो सकता है।

53. पूर्व-उल्लिखित कारणों से, हम निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हुए अपील की अनुमति देते हैं और अपीलार्थियों को सभी आरोपों से बरी करते हैं।

54. अपीलार्थी संजय मंडल और गुड्डु मंडल को छोड़कर अन्य अपीलार्थी अर्थात्/निरंजन कुमार @निरंजन मंडल, दिलावर मंडल, सुरेश महतो @सुरेश मंडल और भोनू महतो @भोनू मंडल जमानत पर हैं।

55. जमानत बांड के तहत उनकी देनदारियां से मुक्ति दी जाती है

56. अपीलार्थी संजय मंडल और गुड्डू मंडल को जेल से तत्काल प्रभाव से निकालने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में इनकी आवश्यकता नहीं है या हिरासत में नहीं लिया गया है

57. इस फैसले की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत भेजी जाए।

58. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय के वापस किया जाए

59. अंतर्वर्ती आवेदन/आवेदनों, यदि कोई हो, को तदनुसार निष्ठारित किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

सुनीलकुमार/

मनोज -

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।